समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

श्रीमती पूनम, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–4248/आ०प्र० दिनांक–17.12.2019 के आलोक में **CFMS Order No.–8026/आ०प्र० दिनांक 17.12.2019** के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय **मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत**, उपमुख्य **शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात**, **लघुशीर्ष–112–जनसंख्या का निष्क्रमण**, **उपशीर्ष–0002–NA**, विपत्र कोड 39–2245021120002, मांग **संख्या 39**, **Allotment ID—749580**, **विषय शीर्ष–35–01–नगद/वस्तुएँ** के अन्तर्गत मो० 91,55,000.00 **(इक्यानवे लाख पचपन हजार)** रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। **उक्त प्राप्त आवंटन में से अंचल पदाधिकारी, मनसाही को पूर्व में उपावंटित राशि के अतिरिक्त उनके नाम के सामने कॉलम–5 "वर्तमान" में अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।**

निदेश दिया जाता है कि इस **उपावंटित राशि का व्यय** विभागीय पत्रांक–2430/आ०प्र० दिनांक–01.08.2019 **के आलोक में** चालू वित्तीय वर्ष 2019 में **बाढ़ के दौरान् जनसंख्या निष्क्रमण यथा– सूखा राशन, जेनरेटर, पंडाल, ईंधन, दरी, चटाई, रौशनी, SDRF/NDRF/ सेना/वायुसेना का गमनागमन (Movement), नावों का परिचालन आदि में हुए व्यय के भुगतान/समायोजन हेतु निर्गत किया जा रहा है।** उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को दिनांक 15.03.2020 तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 15.03.2020** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश **वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचल का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	शीर्ष 2245–02–112–0002 (विषय शीष–35–01–नगद/वस्तुएँ) जनसंख्या का निष्क्रमण ईकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति
			पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचल पदाधिकारी, मनसाही	91,55,000.00	56,219.00	1,57,956.00	2,14,175.00	
	कुल योग	**91,55,000.00**	**56,219.00**	**1,57,956.00**	**2,14,175.00**	

मो० (एक लाख संतावन हजार नौ सौ छप्पन) रूपये मात्र।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

F:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment Letter2.docx

ज्ञापांक.....15.... / आ०प्र० ॥ – 01/2019, दिनांक.....21.02.2020

प्रतिलिपि :– अंचल पदाधिकारी, मनसाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेकर / चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment Letter2.docx